



2026:AHC-LKO:14105-DB

विशेष अपील संख्या 48 वर्ष 2026

भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) स्ट्रेस्टड एसेट्स रिकवरी शाखा, मुख्य प्रबंधक के माध्यम से
.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जी.एस.एम. ब्रिक्स एंड टाइल्स एवं अन्य
.....प्रतिवादीगण

अपीलार्थीगण की ओर से : आलोक सक्सेना

प्रतिवादीगण की ओर से : जितेन्द्र सक्सेना

निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि : 29.01.2026

निर्णय दिए जाने की तिथि : 23.02.2026

न्यायालय संख्या – 1

माननीय राजन राय, न्यायमूर्ति

माननीय अब्धेश कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति।

(माननीय राजन राय, न्यायमूर्ति द्वारा प्रदत्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सक्सेना, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सक्सेना तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार तिवारी को सुना गया।
2. इस विशेष अपील के माध्यम से अपीलार्थी-बैंक ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन योजित एक रिट याचिका में इस न्यायालय की माननीय एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को आक्षेपित किया है, यद्यपि, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, उक्त शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन किया गया है।
3. आक्षेपित निर्णय द्वारा माननीय एकल न्यायाधीश ने ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ द्वारा एस.ए. सं. 290 वर्ष 2025 में आवेदक की अंतरिम राहत प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार करते हुए पारित दिनांक 20.09.2025 के आदेश को निरस्त कर दिया है।
4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अधीन योजित इस विशेष अपील की पोषणीयता के संबंध में, हम इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विशेष अपील सं. 220 वर्ष 2023; **Sharp Industries Vs. Bank of Maharashtra and Ors.** में दिए गए निर्णय का लाभपूर्वक संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 तथा इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर विचार करने के उपरांत यह धारित किया गया है कि ऋण वसूली अधिकरण का गठन संसद द्वारा सूची-1 की प्रविष्टि 45 अर्थात् बैंकिंग के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है, न कि राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची की किसी प्रविष्टि के अधीन, अतः उपर्युक्त अध्याय VIII नियम 5 में निहित अपवर्जन उपबंध लागू नहीं होते हैं और ऐसे मामलों में विशेष अपील पोषणीय होगी। उक्त निर्णय का अनुसरण एक अन्य खंडपीठ द्वारा भी किया गया है, जिसकी सदस्यता हममें से एक (Rajan Roy, J.) ने की थी, विशेष अपील सं. 61 वर्ष 2024; **M/s**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Susheela Taxfab Private Limited Vs. Debts Recovery Tribunal, Lucknow, जिसका निर्णय दिनांक 03.04.2024 को दिया गया।

5. उपर्युक्त विधिक प्रतिपादन के दृष्टिगत, हम यह धारित करते हैं कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देते हुए नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अधीन योजित यह विशेष अपील पोषणीय है।
6. अपील के गुण-दोष के संबंध में अपीलार्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऋण वसूली अधिकरण (जिसे आगे 'डी.आर.टी.' कहा जाएगा) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'सरफेसी अधिनियम, 2002' कहा जाएगा) की धारा 18 के अधीन एक प्रभावी वैधानिक उपचार उपलब्ध है, किन्तु उक्त उपचार का अवलंबन करने के स्थान पर तथा इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन एवं अन्य, (2010) 8 एस.सी.सी. 110 से लेकर दिनांक 16.10.2025 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 27984-27988 वर्ष 2023 से उद्भूत दीवानी अपील; लीलावती एन. एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य तथा सम्बद्ध अपीलें में दिए गए नवीनतम निर्णय तक प्रतिपादित विधि के उल्लंघन में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन लंबित कार्यवाही में डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित उपर्युक्त अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन एक रिट याचिका योजित की गई। रिट न्यायालय ने न केवल उक्त रिट याचिका पर विचार किया, बल्कि अपीलार्थी-बैंक को इस वाद में प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना तथा नीलामी क्रेता, जिसे उसमें विपक्षी पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया गया था, को कोई नोटिस जारी किए बिना, प्रथम ही दिन उक्त रिट याचिका को अनुमन्य भी कर दिया।
- 7.

यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रातःकाल वाद को सूचीबद्ध कर सुनवाई हेतु लेने का उल्लेख किया गया था और उसी दिन वाद को सुनवाई हेतु ग्रहण कर लिया गया तथा रिट याचिका को अनुमन्य कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद ऐसे आदेशों के विरुद्ध भारत के संविधान के अनुच्छेद 226

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के अधीन रिट याचिकाओं अथवा अनुच्छेद 227 के अधीन याचिकाओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की भर्त्सना की है। इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान सत्यवती टंडन (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 43 से 46 तथा 55 की ओर आकृष्ट किया, विशेषकर पैरा 55 की ओर, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि उसके बार-बार दिए गए निर्णयों के बावजूद उच्च न्यायालय, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम तथा सरफेसी अधिनियम के अधीन उपलब्ध वैधानिक उपचारों की उपेक्षा करते हुए अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हैं और ऐसे आदेश पारित करते हैं जिनका बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अपने बकाये की वसूली के अधिकारों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने यह आशा भी व्यक्त की कि भविष्य में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अधिक सावधानी, सतर्कता तथा विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे। इसके समर्थन में बाद के निर्णयों पर भी भरोसा किया गया, जिनमें उक्त चिंता तथा आशा को पुनः दोहराया गया है।

8. इसके बावजूद, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन चुनौती दिए जाने योग्य होने पर भी, रिट याचिका योजित की गई, उस पर विचार किया गया तथा प्रथम ही दिन उसे अनुमन्य करते हुए डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया गया।

9.

उनका यह भी निवेदन था कि वर्तमान वाद सत्यवती टंडन (उपर्युक्त) तथा अन्य निर्णयों में उल्लिखित तीनों अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि रिट न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत, दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों का विस्तार से उल्लेख करते हुए तथा अंतरिम राहत प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार किए जाने के कारण अभिलिखित करते हुए पारित किया गया था।

10.

उनका यह भी निवेदन था कि माननीय रिट न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का आधार, अर्थात् डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित आदेश का अकथित (गैर-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारणयुक्त) आदेश होना, तथ्यात्मक रूप से गलत है। इसकी त्रुटि डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के मात्र अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाती है।

11. उन्होंने हमारा ध्यान सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17(3) की ओर भी आकृष्ट किया, जिसके अधीन यदि डी.आर.टी. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिभूति लेनदार द्वारा धारा 13 की उपधारा (4) में उल्लिखित किसी उपाय को अधिनियम, 2002 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं अपनाया गया है, तो वह प्रत्यास्थापनात्मक आदेश पारित कर सकता है, जिसके अंतर्गत उधारकर्ता अथवा अन्य व्यथित व्यक्ति को प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन अथवा उनका कब्जा पुनः बहाल किया जा सकता है तथा इस संबंध में वह उसमें उल्लिखित खंड (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार उपयुक्त आदेश भी पारित कर सकता है।
12. नीलामी क्रेता के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार तिवारी ने यह प्रतिपादित करने के लिए कि रिट याचिका प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं थी, और उसे प्रथम ही दिन, उनके मुवक्किल अर्थात् नीलामी क्रेता को कोई नोटिस जारी किए बिना अनुमन्य किए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **लीलावती एन. (उपर्युक्त)** के वाद में दिए गए हालिया निर्णय पर विशेष रूप से भरोसा किया।
13. उन्होंने आगे इस तथ्य पर भी विशेष बल दिया कि यद्यपि रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन योजित की गई थी, तथापि माननीय एकल न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिट याचिका को अनुमन्य किया तथा आक्षेपित आदेश पारित किया, जबकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं थी। उक्त अधिकारिता, माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेश द्वारा, उनके द्वारा दिनांक 31.07.2025 को निर्धारित रोस्टर के अनुसार, जो दिनांक 23.09.2025 अर्थात् आक्षेपित आदेश पारित किए जाने की तिथि को प्रभावी था, दो भिन्न पीठों को निहित थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किलों ने तीन बैंक खातों के संबंध में तीन ऋण प्राप्त किए थे तथा एकमुश्त निस्तारण योजना (ओ.टी.एस. योजना) के अधीन एकमुश्त समझौते के लिए भी आवेदन किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इसके बावजूद, एक बैंक खाते के बंद हो जाने के उपरांत भी वसूली आदि के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसमें तीनों खातों से संबंधित ऋण राशि को सम्मिलित कर लिया गया। उनके अनुसार, बंद किए जा चुके बैंक खाते से संबंधित ऋण राशि लगभग ₹5 लाख से कुछ अधिक थी तथा कुल ऋण राशि लगभग ₹55 लाख से कुछ अधिक थी, किन्तु इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कार्यवाही की गई।
15. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किलों की ओर से डी.आर.टी., लखनऊ के समक्ष किए गए विभिन्न निवेदनों पर विचार नहीं किया गया और पारित आदेश एक अकथित (गैर-कारणयुक्त) आदेश था। उन्होंने डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित आदेश के गुण-दोष पर भी न्यायालय को संबोधित करने का प्रयास करते हुए यह प्रतिपादित किया कि उक्त आदेश पूर्णतः अवैध है। उन्होंने इस तथ्य पर भी विशेष बल दिया कि डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा दिनांक 20.09.2025 को, जो कि शनिवार का दिन था, आदेश पारित किया गया था तथा उसके अगले दिन रविवार था और दिनांक 23.09.2025 कब्जा लिए जाने हेतु नियत तिथि थी, इसलिए उनके मुवक्किलों के पास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका योजित करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं था। उल्लेख किए जाने पर उक्त रिट याचिका को दिनांक 23.09.2025 को ही सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया तथा आवश्यक आदेश पारित किए गए। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स, मुंबई एवं अन्य**, (1998) 3 एस.सी.सी. 1, में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद रिट याचिका पर विचार किए जाने के कुछ अपवाद निर्धारित किए गए हैं, ताकि माननीय एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया जा सके।
16. इसके प्रत्युत्तर में अपीलार्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि तीन बैंक खातों में से एक खाता ऋण राशि का भुगतान किए जाने के कारण नहीं, बल्कि ओ.टी.एस. योजना के अधीन समझौता हो जाने के उपरांत बंद किया गया था। तथापि, बाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ओ.टी.एस. योजना के अनुसार निर्धारित राशि जमा करने में विफल रहे, फलस्वरूप वे देय राशि की वसूली हेतु कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तरदायी थे और इस संबंध में कोई अवैधता नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये सभी आपत्तियाँ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

डी.आर.टी., लखनऊ के समक्ष अभिलेख पर लाई गई थीं। उन्होंने पुनः दोहराया कि रिट न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-बैंक को कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यद्यपि, उन्होंने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में मौखिक रूप से एक आपत्ति भी उठाई थी, जिसका उल्लेख तो किया गया, किन्तु इस आधार पर कि आक्षेपित आदेश एक अकथित (गैर-कारणयुक्त) आदेश था, उसे संक्षेप में अस्वीकार कर दिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बैंक द्वारा तीन बैंक खातों के संबंध में दिए गए ऋण के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व वाले एक ही मकान को बंधक रखा गया था और ऋण का परिशोधन न किए जाने के कारण सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की गई। फलस्वरूप, दिनांक 06.05.2025 को नीलामी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 नीलामी क्रेता था। उसके पक्ष में विक्रय प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया। उक्त नीलामी से पूर्व, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा विलंब से एस.ए. सं. 290 वर्ष 2025 योजित किया गया था। उसके लंबित रहने के दौरान, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अधीन प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा प्रतिभूति लेनदार बैंक को सौंपे जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संशोधन प्रार्थना-पत्र योजित किया गया, जिसे अनुमन्य कर दिया गया। इसके उपरांत, संबंधित बैंक को प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने से रोकने हेतु एक अंतरिम प्रार्थना-पत्र योजित किया गया, जिसे डी.आर.टी., लखनऊ ने सभी आवश्यक पक्षकारों को सुनने के उपरांत दिनांक 20.09.2025 को कारणयुक्त आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन वैधानिक उपचार उपलब्ध था, जिसका अवलंबन नहीं किया गया, अतः रिट याचिका पोषणीय नहीं थी।

17. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों का, विशेष रूप से आक्षेपित आदेश एवं सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन एस.ए. सं. 290 वर्ष 2025 में डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 20.09.2025 के आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि रिट याचिका पर विचार किए जाने का एकमात्र आधार यह था कि डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अकथित (गैर-कारणयुक्त) आदेश है। पूर्ण सम्मान के साथ, हमने माननीय डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया है। हम पाते हैं कि उक्त आदेश में पक्षकारों के तर्कों तथा तथ्यात्मक पहलुओं का कम से कम तीन पृष्ठों में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है और इसके उपरांत डी.आर.टी. ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है कि बैंक द्वारा सभी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन किया गया था तथा नीलामी क्रेता के पक्ष में विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका था। अतः अपीलार्थी-बैंक को प्रतिभूत परिसंपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर उसे नीलामी क्रेता को सौंपने से रोकने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि विक्रय प्रमाण-पत्र जारी हो जाने के पश्चात नीलामी क्रेता ही उक्त संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो जाता है।

18. अब, डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा पारित आदेश के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक अकथित (गैर-कारणयुक्त) आदेश है। डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा दिए गए कारण इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित हैं या नहीं, यह सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन योजित अपील में उपलब्ध एवं विधि द्वारा अनुमत आधारों पर चुनौती का विषय हो सकता है। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन, डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील योजित की जा सकती है। उक्त प्रावधान के अधीन अपील का क्षेत्र व्यापक है और यह डी.आर.टी., लखनऊ द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 17 के अधीन पारित अंतरिम आदेश, चाहे वह अंतरिम राहत प्रदान करने वाला हो अथवा उसे अस्वीकार करने वाला, के विरुद्ध अपील योजित किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सत्यवती टंडन (उपर्युक्त)** के वाद से लेकर **लीलावती एन. (उपर्युक्त)** के वाद में दिए गए नवीनतम निर्णय तक निरंतर यह धारित किया है कि जहाँ सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन प्रभावी वैधानिक उपचार उपलब्ध हो, वहाँ उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका अथवा अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए तथा वास्तव में उसने ऐसी प्रवृत्ति के संबंध में गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि यदि अधिकरण का आदेश सरफेसी अधिनियम, 2002 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध हो, अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो, अथवा अधिकारिता के अभाव में पारित किया गया हो, अथवा सरफेसी अधिनियम, 2002 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान की विधिमान्यता को चुनौती दी गई हो।

20. वर्तमान वाद में ऐसी स्थिति नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को डी.आर.टी., लखनऊ के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त न हुआ हो। वस्तुतः, उनके द्वारा योजित प्रार्थना-पत्र पर ही सुनवाई की गई थी और उसे दिनांक 20.09.2025 के आदेश द्वारा

अस्वीकार कर दिया गया। जहाँ तक डी.आर.टी., लखनऊ के आदेश के अकथित (गैर-कारणयुक्त) आदेश होने का प्रश्न है, उस संबंध में हम पूर्व में ही अपना मत व्यक्त कर चुके हैं कि उसे अकथित (गैर-कारणयुक्त) आदेश नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, उसे अधिकारिता के अभाव में पारित आदेश भी नहीं कहा जा सकता। माननीय एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश को निरस्त करते समय सरफेसी अधिनियम, 2002 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के प्रत्यक्ष उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया है। यह ऐसा वाद भी नहीं था जिसमें सरफेसी अधिनियम, 2002 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान की विधिमान्यता को चुनौती दी गई हो। उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार प्रतिपादित विधि के प्रतिकूल है। इस संबंध में हम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्यवती टंडन (उपर्युक्त) (पैरा 43 से 46 एवं 55); फीनिक्स ए.आर.सी. प्राइवेट लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर, ए.आई.आर. 2022 एस.सी. 1045 (पैरा 75.1, 75.2, 8 एवं 10); साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड बनाम नवीन मैथ्यू फिलिप, ए.आई.आर. ऑनलाइन 2023 एस.सी. 427 (पैरा 15 एवं 17); तथा पी.एच.आर. इन्वेंट एजुकेशनल सोसाइटी बनाम यूको बैंक एवं अन्य, (2024) 6 एस.सी.सी. 579 (पैरा 22 से 30, 36, 37 एवं 41) में दिए गए निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं। वास्तव में, यूको बैंक (उपर्युक्त) के निर्णय के पैरा 41 को स्पष्ट कारणों से उद्धृत किया जाना आवश्यक है। वह निम्नवत् है:-

"41. रिट याचिका को निरस्त करते हुए, हमें इस न्यायालय द्वारा सत्यवती टंडन के वाद में कही गई निम्नलिखित बातों की उच्च न्यायालयों को पुनः स्मरण कराना होगा, क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसे अनेक मामले आए हैं जिनमें उच्च न्यायालय, प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम तथा सरफेसी अधिनियम से उत्पन्न याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं : (एस.सी.सी. पृष्ठ 128, पैरा 55)

"55. "यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्णय दिए जाने के बावजूद भी उच्च न्यायालय, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम तथा सरफेसी अधिनियम के अधीन उपलब्ध वैधानिक उपचारों की उपेक्षा करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग ऐसे आदेश पारित करने के लिए करते रहते हैं, जिनका बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अपने

बकाये की वसूली के अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें आशा और विश्वास है कि भविष्य में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अधिक सावधानी, सतर्कता तथा विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे।"

21. **Celir LLP बनाम बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य**, (2024) 2 एस.सी.सी. 1 के पैरा 97 से 101 तथा 110.1 भी प्रासंगिक हैं। उन्हें निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है:-

"97. इस न्यायालय ने समय-समय पर उच्च न्यायालयों को स्मरण कराया है कि यदि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हो, तो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। इस न्यायालय ने सत्यवती टंडन [यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन, (2010) 8 एस.सी.सी. 110 : (2010) 3 एस.सी.सी. (सिविल) 260] में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की थीं : (एस.सी.सी. पृष्ठ 123 एवं 128, पैरा 43-45 एवं 55)

"43. दुर्भाग्यवश, उच्च न्यायालय ने *सत्यवती टंडन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 2608 में प्रतिपादित इस स्थापित विधि की उपेक्षा की कि यदि किसी व्यथित व्यक्ति के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हो, तो उच्च न्यायालय सामान्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन याचिका पर विचार नहीं करेगा तथा यह सिद्धांत करों, उपकर, शुल्क, अन्य प्रकार की लोकधन की वसूली तथा बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के बकाये की वसूली से संबंधित मामलों में और भी अधिक कठोरता से लागू होता है। हमारे विचार में, लोक बकाये आदि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे बकायों की वसूली के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित विधियां अपने आप में पूर्ण संहिताएँ हैं, क्योंकि उनमें न केवल बकायों की वसूली के लिए व्यापक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, बल्कि किसी भी व्यथित व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए अर्द्ध-न्यायिक निकायों के गठन की भी व्यवस्था की गई है। अतः ऐसे सभी मामलों में उच्च न्यायालय को इस बात पर बल देना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार का अवलंबन करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति प्रासंगिक अधिनियम के अधीन उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग कर ले।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

44. उपर्युक्त दृष्टिकोण व्यक्त करते समय हम इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को, भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी, तथा उपयुक्त मामलों में किसी सरकार को भी, निर्देश, आदेश या रिट, जिनमें पाँचों विशेषाधिकार रिटें भी सम्मिलित हैं, जारी करने की जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वे अत्यंत व्यापक हैं और उनके प्रयोग पर कोई स्पष्ट वैधानिक सीमा नहीं है। किन्तु, साथ ही, हम इस न्यायालय द्वारा विकसित आत्मसंयम के उन सिद्धांतों की उपेक्षा नहीं कर सकते, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है।

45. यह सत्य है कि वैकल्पिक उपचार के पूर्ण उपयोग का सिद्धांत विवेक का सिद्धांत है, न कि अनिवार्यता का; किन्तु यह समझ पाना कठिन है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन योजित याचिका पर विचार क्यों करे तथा अंतरिम आदेश क्यों पारित करे, जबकि इस तथ्य की उपेक्षा की जा रही हो कि याचिकाकर्ता आवेदन, अपील, पुनरीक्षण आदि योजित करके प्रभावी वैकल्पिक उपचार का अवलंबन कर सकता है और संबंधित अधिनियम में उसकी शिकायत के निवारण के लिए विस्तृत तंत्र का प्रावधान भी विद्यमान है।

55. “यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्णय दिए जाने के बावजूद भी उच्च न्यायालय, ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम तथा सरफेसी अधिनियम के अधीन उपलब्ध वैधानिक उपचारों की उपेक्षा करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग ऐसे आदेश पारित करने के लिए करते रहते हैं, जिनका बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के अपने बकाये की वसूली के अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें आशा और विश्वास है कि भविष्य में उच्च न्यायालय ऐसे मामलों में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अधिक सावधानी, सतर्कता तथा विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे।”

99. *फीनिक्स ए.आर.सी. (प्रा.) लिमिटेड बनाम विश्व भारती विद्या मंदिर [Phoenix ARC (P) Ltd. v. Vishwa Bharati Vidya Mandir, (2022) 5 एस.सी.सी. 345 :*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2022) 3 एस.सी.सी. (सिविल) 153] में निम्नवत् अवलोकित किया गया है :
(एस.सी.सी. पृष्ठ 359-361, पैरा 18 एवं 21)

“18. अन्यथा भी, यह उल्लेखनीय है कि निजी वित्तीय संस्था—ए.आर.सी., जो वर्तमान वाद में अपीलार्थी है—के विरुद्ध, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही/कार्यवाहियों को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन योजित रिट याचिका पोषणीय नहीं कही जा सकती। वर्तमान वाद में ए.आर.सी. ने प्रतिभूति लेनदार के रूप में उधार ली गई राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के अधीन कार्यवाही/कार्यवाहियाँ करने का प्रस्ताव किया था। ए.आर.सी. को इस प्रकार ऐसा निकाय नहीं कहा जा सकता जो ऐसे लोक कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो, जिनके निर्वहन की सामान्यतः राज्य प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। एक वाणिज्यिक लेन-देन के दौरान तथा संविदा के अधीन, बैंक/ए.आर.सी. ने वर्तमान वाद के उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया था, अतः बैंक/ए.आर.सी. की उक्त गतिविधि को ऐसा लोक कृत्य नहीं कहा जा सकता, जिसके निर्वहन की सामान्यतः राज्य प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। यदि सरफेसी अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जाती है और/अथवा कोई प्रस्तावित कार्यवाही की जाती है तथा उधारकर्ता निजी बैंक/बैंक/ए.आर.सी. द्वारा की गई किसी कार्यवाही से व्यथित है, तो उसे सरफेसी अधिनियम के अधीन उपलब्ध उपचार का अवलंबन करना होगा और ऐसी स्थिति में कोई रिट याचिका न तो ग्राह्य होगी, न ही पोषणीय होगी और न ही उस पर विचार किया जा सकेगा। अतः वर्तमान वाद के उधारकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों, अर्थात् *प्रगा ट्रूल्स कॉर्पोरेशन बनाम सी. ए. इमैनुअल*, (1969) 1 एस.सी.सी. 585 तथा *रमेश अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य*, (2012) 12 एस.सी.सी. 331 : (2013) 3 एस.सी.सी. (एल एंड एस) 456 : 4 एस.सी.ई.सी. 715, पर भरोसा किया गया है, उनसे उधारकर्ताओं को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

21. इस न्यायालय द्वारा *स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर बनाम मैथ्यू के.सी.*, (2018) 3 एस.सी.सी. 85 : (2018) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 41 में प्रतिपादित विधि को वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू करने पर, हमारा मत है कि उधारकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

योजित करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उक्त रिट याचिकाएँ धारा 13(4) के अधीन की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को चुनौती देते हुए योजित की गई हैं। जैसा कि ऊपर अवलोकित किया जा चुका है, यदि यह मान भी लिया जाए कि दिनांक 13-08-2015 का पत्र सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन एक नोटिस था, तब भी सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील के रूप में उपलब्ध वैधानिक एवं प्रभावी उपचार के दृष्टिगत उच्च न्यायालय को रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा मात्र ₹1 करोड़ (कुल मिलाकर ₹3 करोड़) जमा करने पर प्रतिभूत संपत्तियों के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया, भी पूर्णतः अन्यायोचित है। देय बकाया राशि लगभग ₹117 करोड़ है। अंतरिम राहत वर्ष 2015 से निरंतर जारी है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति लेनदार सरफेसी अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही करने से वंचित हो गया है। उधारकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका योजित करना न्यायालय की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में यांत्रिक रूप से तथा बिना कोई कारण अभिलिखित किए एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर दिया। उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने से प्रतिभूति लेनदार के अपने देय एवं देयनीय बकाये की वसूली के अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिभूति लेनदार और/अथवा उसका समनुदेशक उधारकर्ताओं से अपनी देय एवं देयनीय राशि की वसूली करने का अधिकार रखता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई स्थगनादेश से प्रतिभूति लेनदार/समनुदेशक की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः ऐसे मामलों में स्थगनादेश प्रदान करते समय उच्च न्यायालय को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग अत्यंत सावधानी, सतर्कता तथा विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए था। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

100. *वरिमडुगु ओबी रेड्डी बनाम बी. श्रीनिवासुलु* [Varimadugu Obi Reddy v. B. Sreenivasulu, (2023) 2 एस.सी.सी. 168 : (2023) 1 एस.सी.सी. (सिविल) 58] में निम्नवत् धारित किया गया है : (एस.सी.सी. पृष्ठ 183, पैरा 36)

“36. वर्तमान वाद में, यद्यपि प्रतिवादी उधारकर्ताओं ने प्रारंभ में सरफेसी अधिनियम,

2002 की धारा 17 के अधीन आवेदन योजित कर ऋण वसूली अधिकरण का रुख किया था, तथापि अधिकरण का आदेश अधिनियम की धारा 18 के अधीन, पूर्व-जमा (प्री-डिपॉजिट) की शर्त का अनुपालन किए जाने के अधीन, अपील योग्य था। इसके बावजूद, अपील के वैधानिक उपचार का उपयोग किए बिना ही प्रतिवादी उधारकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका योजित कर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हम इस प्रकार की उस प्रथा की भर्त्सना करते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय, विधि के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचार का उपयोग किए बिना ही, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए रिट याचिका पर विचार करता है। प्रतीत होता है कि यह घुमावदार मार्ग सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के द्वितीय परंतुक के अधीन अपेक्षित पूर्व-जमा (प्री-डिपॉजिट) की शर्त से बचने के उद्देश्य से अपनाया गया है।

101. एक दशक से भी अधिक समय पूर्व, इस न्यायालय ने ऋण एवं दिवालियापन संबंधी विधियों के अधीन उपलब्ध वैधानिक उपचारों तथा सरफेसी अधिनियम के अधीन उपलब्ध उपचारों की उपेक्षा करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग किए जाने पर, अपने बार-बार के निर्णयों के बावजूद, गंभीर चिंता व्यक्त की थी। *सत्यवती टंडन [यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन, (2010) 8 एस.सी.सी. 110 : (2010) 3 एस.सी.सी. (सिविल) 260]* में इस न्यायालय के निर्णय के उपरांत भी ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय, ऋण एवं दिवालियापन संबंधी विधियों तथा सरफेसी अधिनियम के अधीन उपलब्ध वैधानिक उपचारों की उपेक्षा करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते रहे हैं।

110.1. उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग किया जाना न्यायोचित नहीं था, विशेषकर उस स्थिति में जबकि उधारकर्ता सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के अधीन उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का पहले ही अवलंबन कर चुके थे।

22. *कनैयालाल लालचंद सचदेव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 2 एस.सी.सी. 782 के पैरा 23 का प्रासंगिक अंश भी निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है :-*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

23. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सामान्यतः यदि किसी व्यथित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन राहत उपलब्ध नहीं होती। (देखें : *साधना लोथ बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय एवं अन्य तथा एस.बी.आई. बनाम एलाइड केमिकल लेबोरेटरीज*)।

23. इसके अतिरिक्त, हमें प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वेश कुमार तिवारी की इस दलील में भी बल प्रतीत होता है कि रिट याचिका को प्रथम ही दिन, नीलामी क्रेता को नोटिस जारी किए बिना ही, अनुमन्य कर दिया गया।

24. हमें अपीलार्थी-बैंक के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में भी बल प्रतीत होता है कि किसी भी स्थिति में रिट याचिका को प्रथम ही दिन, अपीलार्थी-बैंक को प्रतिशपथपत्र दाखिल करने का कोई अवसर प्रदान किए बिना अनुमन्य नहीं किया जा सकता था। साथ ही, जिस तिथि को रिट याचिका माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी, उस तिथि को उनके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन किसी वाद का निर्णय करने की अधिकारिता भी नहीं थी। हमने इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.07.2025 को निर्धारित रोस्टर का अवलोकन किया है और पाया है कि वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिकाओं पर विचार करने तथा उक्त शक्तियों का प्रयोग करने की अधिकारिता माननीय एकल न्यायाधीश पीठ को प्राप्त नहीं थी, बल्कि ऐसे वाद दो न्यायालयों, अर्थात् न्यायालय संख्या 5 एवं 7 को आवंटित किए गए थे। तथापि, न्यायालय संख्या 5 को उक्त अधिकारिता केवल विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों के संबंध में ही प्राप्त थी, जिनके अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित आदेश नहीं आता था। अतः ऐसी अधिकारिता केवल न्यायालय संख्या 7 के पास ही निहित थी, जबकि माननीय एकल न्यायाधीश पीठ ने न्यायालय संख्या 6 में बैठकर उक्त आदेश पारित किया। दिनांक 31.07.2025 का रोस्टर अभिलेख पर रखा जाए।

25. उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, चूंकि विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि एवं उसके सिद्धांतों के प्रतिकूल है, अधिकारिता के बिना पारित किया गया है तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन वैधानिक उपचार उपलब्ध होने के बावजूद रिट याचिका पर विचार करने के लिए दिए गए कारणों के आधार पर भी टिकाऊ नहीं है, अतः वह निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अधीन अपील प्रस्तुत करने तथा विधि के अनुसार अनुमन्य ऐसी राहते प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।

27. विशेष अपील अनुमन्य की जाती है।

(अब्धेश कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति) (राजन रॉय, न्यायमूर्ति)

23 फरवरी, 2026

आर.के.पी.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।